न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 44 / 2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर हाल–पाली		श्री अमृतकुमार उर्फ विनोदकुमार, यादव,निवासी करजाकला,तहसील जौनपुर,जिला जौनपुर(उतरप्रदेश) मैसर्स अमृत ज्यूस सेन्टर ,मैन रोड, उच्च मा.विद्यालय के सामने आहोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(।।) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
विनियम 2011

उपस्थिति :–
1.प्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार सिंहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर उपस्थित।
2.श्री ललितकुमार माली,अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 15.6.2018

1. प्रार्थी श्री दिलीपसिंह ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से सम्पन्न कर रहे थे वर्तमान मे पाली नियुक्त है, प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2016 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए / 2015 / 1032 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक / प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.5.2015 को दौरान गश्त 5.00 पी.एम पर मैसर्स अमृत ज्यूस सेन्टर, मैन रोड,उच्च मा.वि.के सामने, आहोर, जिला जालोर पर पहूंचने पर अमृत उर्फ विनोद को पाया, प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अमृत उर्फ विनोद एवं गवाहान् की उपस्थिति में वहां दुकान का निरीक्षण करने पर पाया वहां रखे हुए स्टील की बरनी में लगभग 5 लीटर आमरस रखा है जिनके बारे में विक्रेता अमृत उर्फ विनोद ने बताया कि यह आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान् के सामने प्रपत्र 5–ए भरकर दिया,प्रपत्र 5–ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी ,गवाहान् व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5–ए देने से पहले प्रार्थी ने विक्रेता व मालिक को बता दिया था कि आमरस का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान् की उपस्थिति में वहां रखे हुए बरनी में आमरस को चार साफ व सूखी बोतल में वास्ते जांच हेतु क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 200/–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, विक्रेता व उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में खरीद किये गये आमरस की ली गई चारों बोतल पर लेबल तैयार किये गये, लेबल पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का कोड व सिरियल नम्बर ओ–544 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया।प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान् के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये ।उक्त लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना बोतल में 80–80 बूंद फोर्मलिन की डालकर ढक्कन को एयर टाईट बंदकिया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतल पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप,कोड व क्रमांक ओ–544 गोंद से नियमानुसार चारो नमूना बोतल के मुंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना बोतल को नियमानुसार धागे से बांध कर सील चपडी से सीलबंद व सीलमुहर किया, एक सील नमूना बोतल के मुंह पर , दो नमूना बोतल की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई,पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर किया, जिस पर विक्रेता, गवाहान् ने हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को कोस करते हुए किये एवं प्रार्थी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबन्द नमूना बोतल को अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं भी ने पढकर,सुनकर व एमझकर तथा सही मानकर हस्ताक्षर किये ,प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना बोतल सील की थी । एक नमूना बोतल मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में चपडी से सीलबन्द कर एवं सील मोहर कर,दो फार्म नं.6 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर, दो सीलबन्द बोतल तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं.6 की प्रतिया आउटर कंवर में चपडी से सीलबन्द कर व सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को दिनांक 25.5.2015 को प्रार्थी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा प्रार्थी स्वयं के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को दिनांक 25.5.2015 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक/एफएसएसए/466/एक्ट/2015/490 दिनांक 1.7.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया आमरस का नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने पत्र कमांक/स्वीकृति/2017/ओ–544/3852 दिनांक 1.9.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त मूल पत्रावली मय अभियोजन स्वीकृति डाक से पाली कार्यालय को भिजवाई गई जो कि दिनांक 6.9.2017 को प्रार्थी को प्राप्त हुई। अमृतकुमार उर्फ विनोदकुमार पुत्र श्री फौजदार यादव, मैसर्स अमृत ज्यूस सेन्टर , मैन रोड, उच्च मा.विद्यालय के सामने आहोर ने आमरस **सब स्टेण्डर्ड** का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद ,खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–544की प्राप्ति रसीद,खाद्य

विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफएसएसए /स्वीकृति/2017/ओ–544/3852 दिनांक 1.9.2017 आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 15.12. 2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.1.2018 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

5 अप्रार्थी की ओर से वकील ने दिनांक 14.6.2018 को न्यायालय हाजा उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, प्रार्थनापत्र में बताया कि प्रार्थी परिवार में कमाने वाली एक ही है तथा पूरा परिवार मेरे उसके उपर ही आश्रित है, अप्रार्थी जुर्म को स्वीकार करता है तथा कम से कम जुर्माना लगाने का श्रम करावे।

6. चूंकि परिवाद के अप्रार्थी श्री अमृतकुमार उर्फ विनोदकुमार ने दिनांक 15.6.2018 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित में अपना जुर्म कबूल किया है व कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है। अतः सरकारी साक्ष्य को तलब करने की आवश्यकता नही है।

7.. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट कमांक/एल.एस./466/एक्ट/2015/490 दिनांक 1.7.2015 के अनुसार अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड आमरस का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है,जिसका जुर्माना धारा 51 में निर्धारित है। अप्रार्थी वकील ने बहस में बताया कि अप्रार्थी की यह प्रथम गलती है व आगे से इस गलती की पुनरावृति अप्रार्थी नही करेगा। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित करावे।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों,अप्रार्थी का जवाब प्रार्थनापत्र तथा प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/ 466/ एक्ट/ 2015/490 दिनांक 1.7.2015 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी से लिया गया आमरस का नूमना Sub standard/does not conform पाया गया जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित

किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त सब स्टेण्डर्ड आमरस विक्रय करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी पर 25,000/–रूपये अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.6.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक/ कोर्ट/2018/ 607–610 दिनांक 15.6.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार सिंहल,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर।
4.अप्रार्थी– अमृतकुमार उर्फ विनोदकुमार,यादव,निवासी करजाकला,तहसील जौनपुर,जिला जौनपुर(उतरप्रदेश),मैसर्स अमृत ज्यूस सेन्टर ,मैन रोड, उच्च मा.विद्यालय के सामने आहोर, जिला जालोर

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर